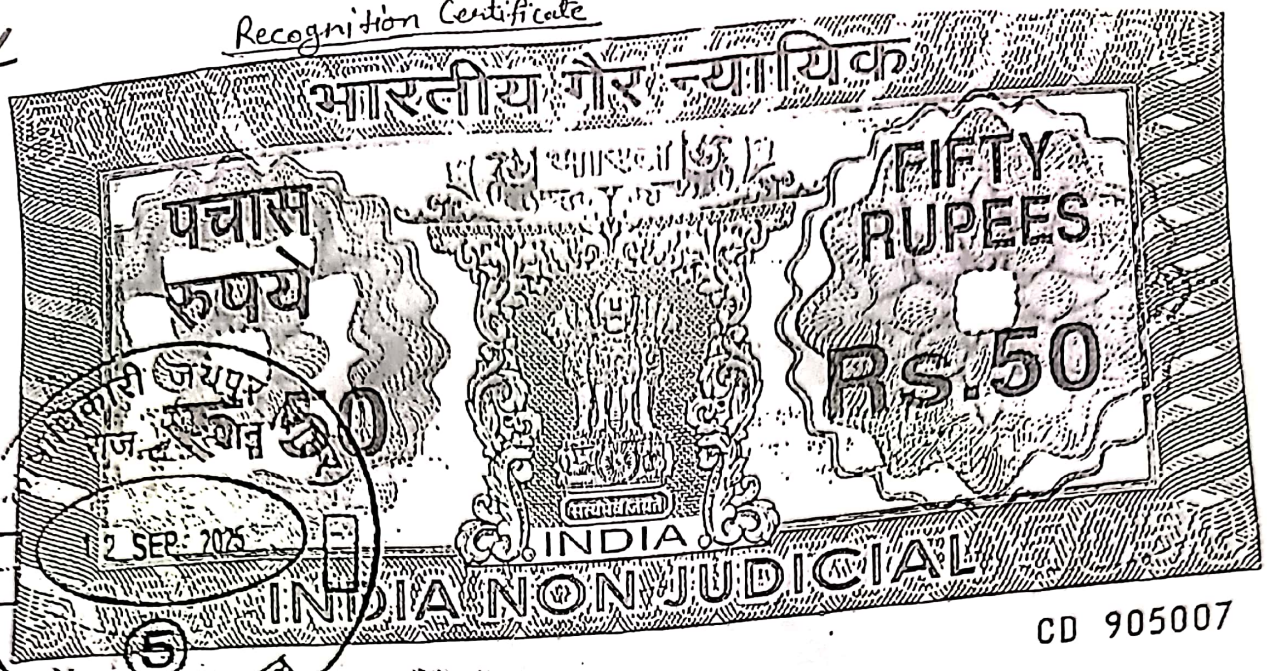
Recognition Certificate



शपथ पत्र

मैं संजीव भार्गव पुत्र स्व. श्री गोपाल नारायण भार्गव आयु–64 वर्ष निवासी ए–2/352, चित्रकूट स्कीम , वैशाली नगर, जयपुर–21, पदेन सचिव प्रबंध समिति , आदर्श विद्या मन्दिर , आदर्श नगर , जयपुर शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि :–

1. यह कि विद्यालय आदर्श विद्या मन्दिर को राज्य सरकार से मूल मान्यता दिनांक 14.03.1958 को प्राप्त हुई थी।
2. यह कि-RTE से मान्यता दिनांक 06.10.2012 को प्राप्त हुयी थी जिसमें कि त्रुटिवश विद्यालय एवं विद्यालय प्रबंध समिति का नाम गलत अंकित हो गया था ।
3. यह कि प्राधिकृत अधिकारी से (जिला शिक्षा अधिकारी) से दिनांक 07.11.2025 को विद्यालय एवं विद्यालय प्रबंध समिति का नाम संबंधी त्रुटि संशोधन प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया है ।
4. यह है कि आज दिनांक तक विद्यालय की मान्यता विषयक प्रमाण पत्र भी संशोधन आदेश दिनांक 07.11.2025 में स्पष्ट रूप से अंकित है ।
5. इस शपथ पत्र के साथ विद्यालय की मूल मान्यता दिनांक 14.03.1958 , RTE प्रावधानो के अन्तर्गत प्राप्त मान्यता पत्र दिनांक 06.10.2012 एवं जिला शिक्षा अधिकारी का संशोधन प्रमाण पत्र दिनांक 07.11.2025 व आज दिनांक तक विद्यालय की मान्यता विषयक पत्र इस शपथ पत्र के साथ संलग्न कर अपलोड किया गया है ।

शपथग्रहिता
सचिव
प्रबन्ध समिति आदर्श विद्या मन्दिर
आदर्श नगर, जयपुर

जयपुर
दिनांक 11.11.2025

सत्यापन

मैं उपरोक्त शपथग्रहिता सत्यापित करता हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र में वर्णित तथ्य सही है। कोई भी तथ्य छिपाया नहीं है। ईश्वर साक्षी है।

शपथग्रहिता
सचिव
प्रबन्ध समिति आदर्श विद्या मन्दिर
आदर्श नगर. जयपुर

Self attested

PRINCIPAL
Adarsh Vidhya Mandir (CBSE)
Near Dashehara Ground
Adarsh Nagar, JAIPUR-302004

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

[नियम 8-क का उप-नियम (1)]

कार्यालय जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी
जयपुर, राजस्थान

संख्या: JPR/EAST/RTE/0183 दिनांक: 6/10/12

अध्यक्ष/प्रबंधक,
प्रबंध समिति,
आदर्श शिक्षा परिषद समिति
जयपुर

विषय:-नियम 8-क के उप-नियम (1) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रदान पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके आवेदन दिनांक 01.04.12 और इस संबंध में विद्यालय के साथ किये गये पश्चात्वर्ती पत्र व्यवहार/निरीक्षण के संदर्भ में, मैं आदर्श विद्या मंदिर, जयपुर (विद्यालय का नाम और पता) को 01.04.12 से 31.3.15 तक तीन वर्ष की कालावधि के लिए कक्षा 01 से 08 तक के लिए अंतरिम मान्यता मंजूर करता हूँ।

उक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन होगी:-

1. मान्यता के लिए मंजूरी विस्तारणीय नहीं होगी और किसी भी तरह कक्षा-1 से आगे मान्यता/सम्बद्धता की कोई बाध्यता अन्तर्निहित नहीं होगी।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 35) और राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा-1 में या, यथास्थिति, पूर्व विद्यालय कक्षा में 2009 के अधिनियम के अनुसार उस कक्षा की छात्र संख्या की सीमा तक आस पड़ौस के कमजोर वर्ग और अभाव ग्रस्त समूह से संबंधित बालकों को प्रवेश देगा और उसकी समाप्ति तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालयों को राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबन्धों के अनुसरण में प्रतिपूर्ति की जाएगी। ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय कोई प्रतिव्यक्ति फीस संग्रहित नहीं करेगा और बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी छंटाई प्रक्रिया का पात्र नहीं बनायेगा।
6. विद्यालय आयु के सबूत के अभाव में किसी बालक के प्रवेश से इंकार नहीं करेगा और 2009 के अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि-

प्रधानाध्यापक
प्रबंध प्रारंभिक आदर्श विद्या मंदिर
जयपुर-302004

सचिव
प्र. स आदर्श विद्या मंदिर
आदर्श नगर, जयपुर

प्रधानाध्यापक
प्रबंध प्रारंभिक आदर्श विद्या मंदिर
जयपुर-302004

प्रधानाध्यापक
प्रबंध प्रारंभिक आदर्श विद्या मंदिर
जयपुर-302004

सचिव
प्रबन्ध समिति आदर्श विद्या मंदिर
आदर्श नगर, जयपुर

प्रधानाचार्या

प्रधानाचार्या
रा. द. उ. मा. वि.
घाटिका, जयपुर

सचिव
प्रबन्ध समिति आदर्श विद्या मंदिर
आदर्श नगर, जयपुर

Self attested
PRINCIPAL
Adarsh Vidhya Mandir (CBSE)
Near Dashehara Ground
Adarsh Nagar, JAIPUR-302004

Scanned with OKEN Scanner

विद्यालय, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का [illegible]) या राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम सं. 28) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जाता है।

12. विद्यालय, किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जाता है।

13. किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा लेखों की संपरीक्षा और उन्हें प्रमाणित किया जायेगा और नियमों के अनुसार समुचित लेखा विवरण तैयार किया जायेगा। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति, जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी को प्रतिवर्ष भेजी जायेगी।

14. आपके विद्यालय को अस्थायी मान्यता क्रमांक संख्या [illegible]/0255/दिनांक [illegible] है। कृपया इसे नोट किया जाये और इस कार्यालय के साथ पत्र व्यवहार के लिए इसे उल्लेखित किया जाये।

15. विद्यालय, ऐसी रिपोर्ट और सूचना देगा जिनकी निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर अपेक्षा की जाये और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो मान्यता की शर्तों को लगातार पूरा करने या विद्यालय कार्यकरण में त्रुटियों का हटाया जाना सुनिश्चित करने के लिए उनके द्वारा जारी किये जाएँ।

16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण, यदि कोई हो, सुनिश्चित करें।

17. अन्य शर्तें संलग्न परिशिष्ट के अनुसार हैं।

18. निरीक्षण दल रिपोर्ट:-

- संस्था आर.टी.ई के सभी मापदण्ड पूर्ण करती है अतः संस्था को आर.टी.ई मान्यता प्रदान करने की अभिशंषा की जाती है।
- संस्था आर.टी.ई. के तहत भौतिक संसाधन को पूर्ण नहीं करती है अतः संस्था को मार्च 2013 तक भौतिक संसाधन जुटाने की शर्त पर आर.टी.ई मान्यता प्रदान करने की अभिशंषा की जाती है।
- संस्था में आर.टी.ई मापदण्डानुसार प्रशिक्षित शिक्षक नहीं है अतः संस्था को मार्च 2015 तक प्रशिक्षित शिक्षकों की पूर्ति की शर्त पर आर.टी.ई मान्यता प्रदान करने की अभिशंषा की जाती है।

अति. जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर

जिला शिक्षा अधिकार
प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर

प्रधानाध्यापक
राज. प्राथमिक आदर्श विद्या मन्दिर
जयपुर-302004

प्रधानाध्यापक
राज. प्राथमिक आदर्श विद्या मन्दिर
जयपुर-302004

सचिव
प्र. [illegible] विद्या मंदिर
[illegible], जयपुर

सचिव
प्रबन्ध समिति, आदर्श विद्या मन्दिर
आदर्श नगर, जयपुर

प्राध्यापक

सुमन

attested
PRINCIPAL
Adarsh Vidhya Mandir (CBSE)
Near Dashehara Ground
Adarsh Nagar, JAIPUR-302004

Scanned with OKEN Scanner

विद्यालय में प्रविष्ट किसी बालक को विद्यालय से उसकी प्रारम्भिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी कक्षा में रोका या विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा;

(ii) कोई बालक शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न का पात्र नहीं होगा;

(iii) किसी बालक से उसकी प्रारम्भिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित नहीं होगा;

(iv) प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम,2011 के नियम 23 के अधीन यथा–अधिकथित प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाएगा;

(v) 2009 के अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निर्योग्यता / विशेष आवश्यकता के विद्यार्थियों को सम्मिलित किया जाये;

(vi) अध्यापक, 2009 के अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (1) के अधीन अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं सहित भर्ती किये जाएँ; परन्तु वर्तमान अध्यापक, जो 2009 के अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएँ नहीं रखते है, वे 2009 के अधिनियम की धारा 23 के परन्तुक के उपबंधों के अनुसार, 5 वर्ष की कालावधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएँ अर्जित करेंगें;

(vii) अध्यापक 2009 के अधिनियम की धारा 24 की उप–धारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट उनके कर्तव्यों का निर्वहन करते है;और

(viii) अध्यापक स्वयं को निजी अध्यापन कियाकलापों में नहीं लगाएँगे।

7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यक्रम के आधार पर पाठ्यनिवरण का अनुसरण करेंगे।

8. विद्यालय 2009 के अधिनियम की धारा 19 में यथा–विनिर्दिष्ट मान और मानकों का अनुपालन करेंगे। अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई कमियाँ निम्नानुसार हैं।

स्वीकृति प्रपत्र–1 के अनुसार

- विद्यालय परिसर का क्षेत्र
- कक्ष निर्मित क्षेत्र
- खेल–कूद के मैदान का क्षेत्र
- कक्षाओं के कमरों की संख्या
- प्रधानाध्यापक एवं कार्यालय एवं भंडार कक्ष
- लड़के और लड़कियों के लिए पृथक–पृथक शौचालय
- पीने के पानी की सुविधा
- मिड डे मील पकाने के लिए रसोई
- अवरोध–मुक्त पहुँच
- अध्यापन विज्ञता सामग्री / खेल–कूद उपस्कर / पुस्तकालय की उपलब्धता।
- विद्यालय परिसर के भीतर और बाहर उसी नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।
- विद्यालय भवन या अन्य संरचनाएँ या मैदान केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिए उपयोग में लिये जायेंगे।

प्रधानाध्यापक
आदर्श विद्या मंदिर
जयपुर-302004.

सचिव
प्र. स. आदर्श विद्या मंदिर
आदर्श नगर, जयपुर

प्रधानाध्यापक
आदर्श विद्या मंदिर
जयपुर-302004

सचिव
आदर्श नगर, जयपुर

प्राध्यापिका
रा. या. उ. मा. वि.
वाटिका, जयपुर

सचिव
प्रबन्ध समिति आदर्श विद्या मन्दिर
आदर्श नगर, जयपुर

PRINCIPAL
Adarsh Vidhya Mandir (CBSE)
Near Dashehara Ground
Adarsh Nagar, JAIPUR-302004

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर

ब्लॉक न. 7, शिक्षा सकुंल,जवाहरलालनेहरू मार्ग,जयपुर ई–मेल– jaipurdeoele@gmail.com

मान्यता आदेश

गैर सरकारी विद्यालय आदर्श विद्या मन्दिर,जयपुर से प्राप्त संलग्न परिवेदना के अनुसार विद्यालय को जारी मान्यता प्रमाण पत्र संख्या Jpr/East/RTE/0183 दिनांक 06.10.2012 में विद्यालय की संचालक समिति एंव विद्यालय का नाम गलत अंकित हो गया है।

उक्त प्रमाण पत्र में संचालक समिति का नाम " प्रबन्ध समिति आदर्श विद्या मन्दिर" तथा विद्यालय का नाम "आदर्श विद्या मन्दिर" पढ़ा जावे।

विद्यालय आज दिनांक तक आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 18 एंव 19 के अर्न्तगत मान्यता प्राप्त संस्थान हैं एंव वर्तमान में संचालित है।

07-11-2025

(रामनिवास शर्मा)
जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
प्रारम्भिक शिक्षा,जयपुर।

क्रमांक :जिशिअ/प्राशि/मुख्या./जय/मान्यता/फा–संशोधन/2025/159 दिनांक 07-11-25

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु

01. निदेशक,प्रारम्भिक शिक्षा,राजस्थान,बीकानेर।
02. संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) जयपुर संभाग,जयपुर।
03. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी,जयपुर पूर्व,जयपुर।
04. सचिव, प्रबन्ध समिति आदर्श विद्या मन्दिर,जयपुर।
05. रक्षित पत्रावली

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
प्रारम्भिक शिक्षा,जयपुर।

Self attested

PRINCIPAL
Adarsh Vidhya Mandir (CBSE)
Jawahar Lal Nehara Ground
JAIPUR-302004

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner